भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 805
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

वादियों के लिए न्याय

805. श्री बी. मणिक्म टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषकर अधीनस्थ न्यायालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित मुद्दे सहित 48 मिलियन से अधिक लंबित मामलों का समाधान करने और नागरिकों तथा संघ लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) 30 वर्षों से 182,000 से अधिक मामलों के लंबित होने के मद्देनजर सरकार की लाखों वादियों के लिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष और समय पर विचारण की संवैधानिक गारंटी को किस प्रकार बनाए रखने की योजना है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों में 42 प्रतिशत पद रिक्त हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को भरने में असमर्थता के क्या कारण है तथा इन्हें भरने की समय-सीमा क्या है ;

(ङ) न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मामलों के प्रबंधन में लम्बे स्थगन और अक्षमताओं सहित प्रक्रियात्मक विलंब से निपटने के लिए शुरु किए जा रहे सुधारों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार द्वारा लंबित मामलों को कम करने और तीव्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपनी मुकदमा संबंधी नीतियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : न्यायालयों में मामलों का निपटान, अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यथा अधिदेशित मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अटूट वचनबद्धता रखती है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं **:**

(i) राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

(ii) न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से अब तक 11841.72 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 20.01.2025 तक 22,037 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 20.01.2025 तक 19,690 हो गई है।

(iii) इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.12.2025 तक जिला न्यायालयों में 1540 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 29 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमें 27 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.12.2024 तक इन न्यायालयों ने 6.36 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 691.95 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

(iv) अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

(v) देश भर के उच्च न्यायालयों में 04.02.2025 तक न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या, रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण ***उपाबंध- I*** में दिया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में प्रशासनिक कर्मचारिवृंद, सहायक कर्मचारिवृंद, तकनीकी कर्मचारिवृंद की भर्ती केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। अत यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम विरचित करती है। मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, कुछ समय-सीमाएं विहित की हैं, जिनका जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाना है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। प्रक्रिया ज्ञापन के अधीन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के विचार भी प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी सिफारिशों पर विचार किया जाना होता है। उच्च न्यायालय कॉलिजियन, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को तब सलह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है।

सांविधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या प्रोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि के कारण भी उद्भूत होती रहती हैं।

सरकार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को नियमित रूप से भरती रही है। दिनांक 01.05.2014 से 27.01.2025 तक 1013 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 776 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 के 906 से बढ़ाकर अब तक 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
30.01.2025	25,771	20,478

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

(vi) स्थगन, मामला प्रबंधन जैसी न्यायिक प्रक्रिया न्यायपालिका के दायरे में आती है। तथापि, भारत सरकार ने नए विधि और स्कीम शुरू करके विभिन्न पहलें की हैं जिनका उद्देश्य बैकलॉग में कमी को सुकर बनाना और तीव्र समाधान सुनिश्चित करना है।

(vii) चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.12.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 863 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्योंविधानसभा सदस्यो/ं से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने बलात्कार और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.12.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 406 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 747 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 2,99,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

(viii) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

(ix) वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

(x) लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (31.12.2024 तक)	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

(xi) सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग के अनुसार				
महिला	41,75,351	39.32	41,20,027	39.27
पुरुष	64,43,290	60.68	63,72,548	60.73
जाति श्रेणीवार				

सामान्य	24,90,291	23.45	24,52,633	23.37
अन्य पिछड़ा वर्ग	33,54,939	31.59	33,11,963	31.56
अनुसूचित जाति	33,45,204	31.50	33,11,945	31.56
अनुसूचित जनजाति	14,28,207	13.45	14,16,034	13.50
कुल	1,06,18,641		1,04,92,575	

*डेटा 31-12-2024 तक का है।

(xii) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

(xiii) न्यायालय मामलों के शीघ्र विचारण के लिए प्रक्रियात्मक विधियों में अनेक विधायी परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें दांडिक और सिविल मामलों में न्यायालय कार्यवाहियों के स्थगनों को सीमित करने के उपबंध सम्मिलित हैं।

****

उपाबंध- 1

'वादियों के लिए न्याय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 805 जिसका उत्तर 07.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

04.02.2025 के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्यरत संख्या			रिक्तियाँ		
क्र.सं.	उच्च न्यायालयों	स्था.	अति.	स्था.	अति.	स्था.	अति.	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	79	0	79	40	41	81
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	21	9	30	7	0	7
3	बंबई	71	23	94	52	16	68	19	7	26
4	कलकत्ता	54	18	72	33	10	43	21	8	29
5	छत्तीसगढ	17	5	22	9	7	16	8	-2	6
6	दिल्ली	45	15	60	38	0	38	7	15	22
7	गुवाहाटी	22	8	30	21	3	24	1	5	6
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	19	6	25	12	3	15	7	3	10
11	झारखंड	20	5	25	16	0	16	4	5	9
12	कर्नाटक	47	15	62	46	3	49	1	12	13
13	केरल	35	12	47	30	15	45	5	-3	2
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	33	0	33	7	13	20
15	मद्रास	56	19	75	54	11	65	2	8	10
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	3	1	4	0	0	0
18	ओडिशा	24	9	33	18	0	18	6	9	15
19	पटना	40	13	53	34	0	34	6	13	19
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	48	3	51	16	18	34
21	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17

22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	23	7	30	9	3	12
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	0	8	1	2	3
	कुल	**846**	**276**	**1122**	**666**	**89**	**755**	**180**	**187**	**367**

****